न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 144/2016

मलकीत कौर पत्नी जबरसिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 27ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। –अपीलार्थी

बनाम

1. हुकमीबाई पत्नी मेहताब सिंह जाति रायसिख निवासी 27ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। ––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 09.06.2016 व 18.07.2016

उपस्थितिः–

श्री रविन्द्र बलाना अभिभाषक अपीलार्थी

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 09.06.2016 व 18.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट स्वीकार कर चक 33ए के मु.नं. 26 प. नं. 348/430 के कि.नं. 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत किया गया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दर से दुगुणी राशि अप्रार्थी सं. 1 को दिलाने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एकतरफा व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है। अधी. न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक सिंद्धांतों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में प्रस्तावित रास्ता से मुझ अपीलांट की भूमि दो टुकडों में बंट जाएगी। वकील अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने धारा 251ए आर.टी.एक्ट के विधिक प्रावधान एवं इसकी कियान्विति हेतु बने नियम 68 से 70 की पालना कर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर